न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/42/2021 दायर दिनांक 13.07.2021

उनवान

1. मु0 भगु पत्नी कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

—— वादीया

बनाम

1. कसन उर्फ किशना जाति गाडरी पिता भैरा गाडरी आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

—— प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 12.03.2025

—:निर्णयः—

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा हीराजी का खेडा पटवार हल्का करजाली के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 977 मी0 रकबा 0.16 हैक्ट0 स्थित है जो चालू पैमायश की जमाबन्दी संवंत 2077 में वादीया के नाम पर तन्हा खातेदारी हक से दर्ज होकर वादीया इस आराजी पर तन्हा काश्त करती है।

विवादीत आराजी पर प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादी ने दिनांक 15.06.2021 को सुबह के वक्त करीब 9 बजे वादीया की विवादीत आराजीयात पर वर्षो पुराने उत्तर की दिशा में थोहर लगा रखे उनको जबरदस्ती काट दिये तथा वादीया की विवादीत आराजी पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा करने की कोशिश की मैने वादीया तथा उसके पति कालु तथा पुत्र नारायण ने रोका। वादीया अपनी विवादीत आराजी जैरबहस के चारो तरफ आराजीयात जैर बहस की सुरक्षा के लिये बनाना चाहती है फिर भी प्रतिवादीगण कसन आराजीयात जैरबहस के चारो तरफ चार दिवार नहीं बनाने देता है तथा लडाई झगडा करता है इसलिये प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है नही तो प्रतिवादी जबरदस्ती ताकत के बल पर वादीया की विवादीत आराजी पर नाजायज कब्जा कर लेगा जिससे वादीया को अपार क्षति होगी जिसे रूपयों में आंका नही जा सकेगा व वादीया को ऐसी क्षति होगी जिसे रूपया में पुरा नही किया जा सकेगा।

यह कि वाद कारण दिनांक 15.06.2021 को पैदा होता है उसके बाद प्रतिदिन पैदा हो रहा है।

वादीया की प्रार्थना है कि—

पक्षवादीया विरूद्ध प्रतिवादी के स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अनुसार जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित मौजा हीराजी का खेडा पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी नम्बर 977 मी रकबा 0.16 हैक्ट0 पर से वादीया का कब्जा नहीं हटावें वादीया के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें तथा विवादीत आराजी की सुरक्षा हेतु वादीया मु0 भगु विवादीत आराजीयात के चारो तरफ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

दिवार खडी कर किवाड फाटक लगाये तो प्रतिवादी नही रोके न किसी प्रकार का विवाद करें खुद प्रतिवादी ऐसा नही करें न ही अपने परिवार सदस्य या नौकर एजेन्ट से करावें।

दौराने दावा प्रतिवादी विवादीत आराजी पर से वादी का कब्जा हटा देवे तो वादी को प्रतिवादी से पुनः कब्जा कराया जावें।

अन्य दाद मुफिद वादीया के हो प्रतिवादी से दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिववत्ता श्री पवन पाल सिंह चौधरी का अधिकार पत्र प्रस्तुत। आज दिनांक को वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। बहस उभयपक्ष अधिववत्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादीया ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीया अपनी विवादीत आराजी जैरबहस के चारो तरफ आराजीयात जैर बहस की सुरक्षा के लिये बनाना चाहती है फिर भी प्रतिवादीगण कसन आराजीयात जैरबहस के चारो तरफ चार दिवार नहीं बनाने देता है तथा लडाई झगडा करता है इसलिये प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है अतः प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। हमनें प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वादीया खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा हीराजी का खेडा पटवार हल्का करजाली के हल्के बेरूनी में आराजी नम्बर 977 मी0 रकबा 0.16 हैक्ट0 स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में वादीया का कब्जा नही हटावें, वादीया के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। न ही ऐसा प्रतिवादीगण उनके परिवार के अन्य सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौडगढ

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ